

30-12-2020

# कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE - 245361 FAX - 240189 E\_MAIL - ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2020/ 7574

शहडोल, दिनांक 30/12/2020

प्रति,  
अत्यंत  
आवश्यक

वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल अनूपपुर

विषय:- अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकास खण्ड के अंतर्गत बोदा से लखौरा मार्ग लम्बाई 12 कि.मी. के वनक्षेत्र में स्थित मार्ग उन्नयन एवं पुल/पुलियों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदाय बावत् [Proposal No.: FP/MP/ROAD/26648/ 2017  
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्र./मा.चि./1732 दिनांक 09.12.2020,

—00—

विषयांतर्गत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर द्वारा परिक्षेत्र राजेन्द्रग्राम के अंतर्गत कक्ष क्र. आर.एफ. 153 आर.एफ. 154 पी.एफ. 132, पी.एफ. 164 के कुल आंशिक वन क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में संदर्भित पत्र से प्रस्तुत किया है। प्रकरण का परीक्षण करने पर निम्नानुसार कमियों/त्रुटियों पायी गयी हैं :-

- (1) प्रस्ताव की हार्ड कॉपी व्यवस्थित नहीं है एवं पेजिंग नहीं की गयी है।
- (2) आपके द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र में 658 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया है किन्तु प्रस्ताव के साथ 658 वृक्षों का गणना गोशवारा संलग्न नहीं है।
- (3) प्रस्ताव की समस्त हार्ड कॉपी में 1:50000 स्केल की मूल टोपोशीट की प्रति संलग्न नहीं की गयी है तथा आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वन के बदले में वनीकरण हेतु ग्राम सरई में गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसके खसरे पंजाला, खसरे नक्शे की प्रति व्यवस्थित रूप से प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।
- (4) आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के बदले में वनीकरण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसकी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में संलग्न नहीं है।
- (5) आप द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 03 में आर.एफ. 153, आर.एफ. 154, पी.एफ. 132, पी.एफ. 164 का विवरण उल्लेख है किन्तु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 10 में आर.एफ. 153 एवं आर.एफ. 154 का उल्लेख है। स्पष्ट करें।

अतः सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उपरोक्तानुसार कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रस्ताव आज ही ऑनलाईन/हार्ड कॉपी में तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

(पी.के. वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक  
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक 30/12/2020

पू.क्रमांक/मा.चि./2020/ 7575  
प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल।
- (2) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक  
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)